फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 267 प्रभात जयपुर, बुधवार 30 अप्रैल, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

ARBiT

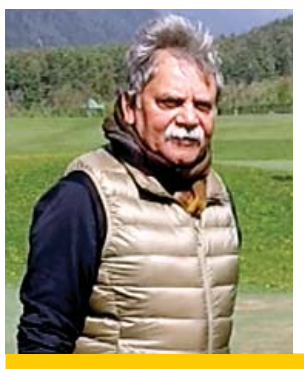

I was in Pahalgam that Day...

Once again, the dreams are shattered. Once again, the Tulips will bloom without anyone looking at them. Once again, the saffron will be blood red

Time to Dump Your Ex's Stuff!

A Golden Tradition Amid Changing Times

ट्रम्प प्रशासन ने एमेज़ॉन को ''धमकी'' दी

घबराकर एमेज़ॉन ने अपनी कीमतों में टैरिफ वॉर के कारण हुई वृद्धि को दिखाने का इरादा त्याग दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। एक बेहद अजीब घटनाक्रम में, ट्रंप प्रशासन अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों में से एक के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहा है, वजह यह है कि कंपनी अपने उत्पादों की कीमत में यह दिखाना चाहती थी कि टैरिफ के कारण मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है।

एमेज़ॉन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ऑनलाइन सैलर (विक्रेता) है, उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निर्धारण का यह नया विवरण पेश करने की योजना बना रहा था। लेकिन लगता है कि इसकी भनक लगने के बाद, यू.एस. एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी भरे संकेत दिए, जिससे एमेज़ॉन डर गया।

यह एक विडंबना है, क्योंकि अमेरिका, पूंजीवाद और बड़ी कंपनियों का गढ़ था तथा खासकर अत्यधिक सफल तकनीकी कंपनियां, देश की ''पवित्र गायें'' मानी जाती थीं। इनकी वाहवाही होती थी तथा इन कंपनियों के सीईओ कभी अमेरिका की कॉर्पोरेट संस्कृति में सेलेब्रिटी हुआ करते थे।

- वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने एमेज़ॉन द्वारा टैरिफ वॉर को मूल्य वृद्धि का कारण बताने को ''राजनीति व गैर मैत्रीपूर्ण'' कार्यवाही बताया। प्रेस सचिव ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति ट्रम्प से भी बात हो चुकी है।
- ट्रम्प सरकार की इस ''धमकी'' के आगे, एमेज़ॉन का हौंसला पस्त हुआ और एमेज़ॉन ने ''प्राइस राइज़'' पर टैरिफ नीति का प्रभाव जताने का इरादा त्याग दिया।
- पर, यह भी सच है कि ट्रम्प की नई टैरिफ नीति के कारण, अमेरिका में मूल्य वृद्धि तो हुई ही है, साथ ही नौकरियां खत्म हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस समय जानी-मानी कंपनी एमेज़ॉन द्वारा यदि यह प्रचारित किया जाता कि ट्रम्प की नई टैरिफ नीति, इस स्थिति के लिए जिम्मेवार है, तो ट्रम्प प्रशासन के लिए दिक्कतें बढ़ सकती थीं।

लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यह पूरी तस्वीर बदल गई है। सरकार अब उन शीर्ष कंपनियों के साथ टकराव की स्थिति में है, जो उसकी आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रही हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों को आशंका है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने एमेज़ॉन की इस पहल को ''राजनीतिक और शत्रुतापूर्ण'' करार दिया और पुष्टि की कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। उसके बाद एमेज़ॉन हिम्मत हार गया। हालांकि, कुछ सहयोगी वेबसाइटों ने उपभोक्ताओं को यह जानकारी देना शुरू कर दिया है कि मूल्य में वृद्धि का कितना हिस्सा शुल्कों के कारण है।

डॉनल्ड ट्रंप ने अपना चुनाव प्रचार इस आधार पर लड़ा था कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और आम अमेरिकी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। यह मुद्दा उनकी अपील की एक प्रमुख वजह था।

तथापि, अब जब टैरिफ लागू हो चुके हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आम अमेरिकी अब ट्रंप प्रशासन से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं।

स्थिति और भी गंभीर हो रही है, क्योंकि मंदी आने से पहले ही नौकरियां जा रही हैं और सबसे बुरी बात, यह शुरुआत संघीय सरकार की नौकरियों से हुई है। इन नौकरियों को अब तक स्थायी और सुरक्षित माना जाता था। लेकिन ट्रंप शासन में ये भी असुरक्षित हो गई हैं और डिपार्टमैंट ऑफ गवरमैंट एफिशिएन्सी के हमले से चरमराने लगी हैं।

कुछ अनुमानों के अनुसार, अमेरिकी संघीय सरकार में ढाई लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि कुछ अन्य अनुमानों में यह संख्या डेढ़ लाख बताई गई है। रिटेल सेक्टर ने भी करीब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नगर पालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब माँगा है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अदालत को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू और नगरपालिका अधिनियम की धारा 7 और धारा 11 के तहत नगरपालिकाओं का

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा।

कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, उनके चुनाव कराए जाने जरूरी है। नगरपालिका अधिनियम के तहत, पिछले बोर्ड की पहली बैठक के पांच साल पूरे होने से पहले चुनाव होने चाहिए। प्रदेश की नगरपालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर, 2024 को पूरा हो चुका है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने इन नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के बजाए यहां प्रशासक लगा दिए। याचिका में यह भी कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। यदि किसी पालिका बोर्ड का विघटन किया गया है तब भी छह माह के भीतर चुनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस के पोस्टर की पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने ''तारीफ'' की!

भाजपा ने इस पर कटाक्ष किया कि अब कांग्रेस केवल पाकिस्तान की भाषा ही नहीं बोलती, अब पाकिस्तान के आदेश पर काम भी करती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अप्रेल। पहलगाम हमलों के बाद पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए केन्द्र सरकार के जवाबी अभियान के बीच, कांग्रेस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की जड़ एक पोस्टर है, जिसमें चूड़ीदार पाजामा-कुर्ता पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया है और उस पर लिखा है: ''गायब''। हालांकि उस छवि का चेहरा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे तुरंत प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के रूप में पहचान लिया है।

यह विवाद तब और गहरा गया, जब पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने इस पोस्टर को ''नॉटी कांग्रेस'' हैशटैग के साथ शेयर किया। इसके बाद से भाजपा और इंटरनेट यूज़र्स कांग्रेस की तीखी आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस पर ''पाकिस्तान से निर्देश लेने'' का आरोप लगा रहे हैं।

पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने कहा, ''यह पार्टी सिर्फ पाकिस्तान जैसी बात ही नहीं करती, बल्कि उनका वर्क कल्चर और

- कांग्रेस के पोस्टर में चूड़ीदार पजामा व कुर्ता पहने एक आदमी दिखाया है, जिसका रंग रूप व काठी प्र.मंत्री मोदी जैसे हैं तथा पोस्टर में कैप्शन दिया है ''गायब''। इस पोस्टर में इस व्यक्ति का सिर कटा हुआ दिखाया गया है, जिससे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की गला काटने के ''इमेज'' का स्मरण होता है।
- पलटवार में भारत ने पाकिस्तान के कई टॉप टी.वी. चैनल्स, जैसे, डॉन न्यूज़, ए.आर.वाय. न्यूज़, समा टीवी व जियो न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने का इरादा जताया है।
- साथ ही भारत ने इज़रायल की रणनीति अपनाते हुए, वीडियो जारी किये हैं, जिनमें पाकिस्तान की मदद व संरक्षण में आतंकवादियों द्वारा भारत को टारगैट बनाना साफ दिखाया गया है।

व्यवहार भी अब इस्लामाबाद जैसा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सिर नहीं है- यह ठीक वैसा ही है, जैसा लंदन में पाकिस्तान के राजनयिक ने भारतीयों की ओर ''गला काटने'' का इशारा किया था। कांग्रेस न केवल पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, बल्कि आतंकियों जैसा व्यवहार भी कर रही है।''

पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ''भारत को निशाना बनाने वाले सूचना ''युद्ध'' को लेकर चिंता जताई है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में स्थित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर व बैंक की सांठ-गांठ की जाँच सीबीआई को सौंपी

दिल्ली, नैशनल कैपिटल रीज़न, मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली व कोलकाता से इस सांठ-गांठ की कई खबरें व शिकायतें आयी थीं, सुप्रीम कोर्ट के पास

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। फ्लैटों /मकानों के निर्माण तथा ग्राहकों को सौंपे जाने में किये जा रहे विलम्ब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, नैशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर), मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता के प्रोजेक्टों के मामलों में बिल्डरों और बैंकों के बीच की ''नापाक साँठ-गाँठ'' की सीबीआई जाँच के आदेश दिये हैं।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकान्त तथा एन कोटीश्वर सिंह की बैंच ने सीबीआई को निर्देश दिये कि वह सात प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी (पीई) दर्ज करे तथा एक स्पेशल

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ''प्रिलिमनरी इन्क्वायरी'' रजिस्टर करे तथा एक स्पैशल इन्वैस्टिगैटिंग टीम (एसआईटी) गठित करे, जाँच के लिए।

इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करे।

अदालत ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों, जो राज्य पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, से भी कहा है कि जाँच में सहायता के लिये सीबीआई को पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराये जायें।

जिन कम्पनियों के खिलाफ पीई दर्ज की जायेगी, उनमें से एक है ''सुपरटैक।'' सर्वोच्च न्यायालय, जो इस केस की मॉनिटरिंग तथा हर महीने सुनवाई करेगा, ने दिल्ली -एनसीआर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, गुरुग्राम तथा गाजियाबाद में स्थित प्रोजेक्टों की प्रारंभिक जाँच के आदेश दिये हैं।

जिन अन्य बिल्डरों के प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर, मुम्बई, चंडीगढ़, मोहाली, कोलकाता में हैं, उनकी भी जाँच होगी। सीबीआई से कहा गया कि वह अन्तरिम स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।

सरिस्का में 3 शावकों के जन्म से टाइगर संख्या 44 हुई

अलवर। अलवर सरिस्का में बाघिन एसटी -30 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शावकों की उम्र करीब 2 महीने हैं। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या 44 हो गई है।

बता दें कि बाघ पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के तहत बाघिन एसटी -30 को 2023 में रणथम्भौर से सरिस्का लाया गया था और यहां टहला रेंज के भगानी

- जन्म देने वाली बाघिन एसटी-30 को 2023 में रणथम्भौर से सरिस्का पुनर्स्थापित किया गया था।

में छोड़ा गया था।

सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि जंगल में गश्त के दौरान वनकर्मियों ने बाघिन एसटी-30 को 3 शावकों के साथ देखा था। शावक और बाघिन स्वस्थ नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने अब बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग बढ़ाकर मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया गया है। बाघिन के नए शावक आने के बाद वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने वनकर्मियों को बधाई दी।

'सफल इकोनॉमिक्स, सफल राजनीति भी है'

तमिलनाडु के मु.मंत्री ने सोच-समझ कर यह नारा अपनाया है, अगले विधानसभा चुनाव के लिए

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को 'द्रविड़ मॉडल ऑफ डवलपमेन्ट एंड ग्रोथ' को 2026 के विधानसभा चुनावों के मुख्य आधार के रुप में प्रस्तुत किया तथा यह संदेश देने का प्रयास किया कि अच्छी अर्थव्यवस्था ही अच्छी राजनीति है।

अपना चुनावी नैरेटिव प्रस्तुत करते हुये, स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार के मॉडल का द्वितीय संस्करण 2026 में लोड होगा। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि सत्ता में उनकी वापसी होगी तथा यह एक ऐसी उपलब्धि होगी, जो उनके पिता को भी नसीब नहीं हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों की इस चक्रीय प्रकृति को केवल जे जयललिता ही तोड़ पाई थीं तथा 2011 में द्रमुक से सत्ता छीनने के बाद, 2016 में पुनः निर्वाचित हुई थी।

इस समय, चूँकि विपक्ष कुछ कमजोर है, अन्नाद्रमुक में फूट है, तथा भाजपा के साथ उसका गठबंधन कभी

- हालांकि, उनके दो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं तथा मंत्री पद से हटा दिया गया है। परन्तु, स्टालिन यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार चुनाव में कोई खास मुद्दा नहीं होता।
- इसका उदाहरण हैं जयललिता, जिन पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगे, पर, वे दोबारा मु.मंत्री चुनकर आयीं।
- अतः स्टालिन तमिलनाडु की, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिकीकरण के मामले में सफलता का ही उदाहरण देते है और इसे ही चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। वे 2024-25 में तमिलनाडु में 9.69 प्रतिशत ग्रोथ रेट को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि गिना रहे हैं।

टूटता है, तभी बनता है, गठबंधन पार्टनरों के हल्के-फुल्के मतभेद भी हैं, तथा अभिनेता विजय का भी राजनैतिक क्षितिज पर उदय हो चुका है- इस सब कारणों के चलते, स्टालिन आत्मविश्वास से भरे हुये प्रतीत हो रहे हैं, या फिर तमिलनाडु के मतदाताओं के सम्मुख वे स्वयं को इस रुप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

वे आर्थिक मोर्चे पर राज्य की उपलब्धियों को प्रस्तुत करते ही रहते हैं तथा अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी वे ऐसी ही उपलब्धियों के वादे कर रहे हैं।

मंगलवार को, विधानसभा में बहस का समापन करते हुये, उन्होंने अपनी सरकार की चार साल की विभिन्न उपलब्धियाँ गिनाईं। स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार के शासनकाल में राज्य ने नई ऊँचाइयाँ स्पर्श की हैं तथा तमिलनाडु 9.69 प्रतिशत ग्रोथ रेट के साथ, 2024-25 में ''पहले नम्बर'' पर रहा है।

स्टालिन ने कहा कि यह ग्रोथ रेट अभूतपूर्व थी। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के आँकड़े इस तथ्य को प्रमाणित कर रहे हैं।

उन्होंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ बताते हुये कहा कि मिडिल स्कूलों में न कोई ड्रॉपआउट नहीं'' है, गरीबी उन्मूलन के प्रयास जारी हैं तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्टालिन ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमसे चूक हो तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ें, लेकिन हमारी उपलब्धियाँ सबके सामने हैं, सबको दिखाई दे रही हैं।

स्टालिन ने पूर्ण भरोसा व्यक्त करते हुये कहा कि तमिलनाडु के मतदाता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन के कारण, द्रमुक को जबरदस्त समर्थन देंगे।

लेकिन जमीनी स्तर पर, कुछ सत्ता-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 29 अप्रैल (निसं)। शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद छात्र के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यह छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहा था और कोटा में रह रहा था। छात्र मूल रूप से बिहार का निवासी

- बिहार का छात्र 15 दिन पहले ही 11वीं के साथ मैडिकल की तैयारी के लिए कोटा आया था।

है और 15 दिन पहले ही कोटा आया था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

जवाहर नगर थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के ही एक हॉस्टल से सूचना मिली थी। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे थे और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, साथ ही जांच पड़ताल के बाद बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लखनऊ के हज़रतगंज थाने में

यू.पी. पुलिस ने एक ऐसी एफआईआर एक्टिविस्ट व प्रोफेसर माद्री काकोती के खिलाफ भी दर्ज करवायी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के 'एक्स' अकाउन्ट को भारत में निलम्बित कर दिये जाने, तथा उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जैसे जाने-माने आलोचकों पर एफआईआर किये जाने से सोशल मीडिया ग्रुपों तथा सिविल सोसायटी सर्कल्स में बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब भाजपा-आरएसएस ईको सिस्टम की गहरे तक पैठी आंतरिक असुरक्षा का संकेत है।

पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों के एक्स एकाउंट भी सस्पैंड किए गए हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले, सोमवार को भारत ने 16 पाकिस्तानी यू ट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था, जो कथित रुप से भड़काने वाली, सांप्रदायिक रुप से संवेदनशील तथा भारत के खिलाफ भ्रामक विषय वस्तु प्रसारित कर रहे थे तथा पहलगाम हमले के संदर्भ में भारत की सेना व सुरक्षाबलों के खिलाफ द्वेष फैला रहे थे।

इसी बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए है, जिनमें भारत की सम्प्रभुता, एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करना शामिल है। एक अन्य एक्टिविस्ट माद्री काकोती, जो डॉ. मेडूसा के नाम से विख्यात हैं, पर भी इन्हीं आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

एक भाजपा कार्यकर्ता अभय प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज की थी कि लोक

- एफआईआर के अनुसार, नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हैं, जिससे देश की अखण्डता को चुनौती मिलती है तथा साम्प्रदायिक तनाव व दुर्भावना फैलने की आशंका है।
- शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह के अनुसार, इन एफआईआर के विरोध में नेहा राठौड़ द्वारा दिये गये वक्तव्य पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं तथा इन वक्तव्यों के आधार पर पाकिस्तान मीडिया भारत के खिलाफ प्रपोगैण्डा फैला रहा है तथा भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ सवाल उठा रहा है।

गायिका एवं कवयित्री नेहा सिंह राठौड़ अपने एक्स हैंडल का इस्तेमाल कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए कर रही हैं, जो राष्ट्रीय एकता पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। वे बार-बार एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रही हैं।'' इस शिकायत के आधार पर लखनऊ की हज़रत गंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

एफआईआर के अनुसार, नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं तथा पाकिस्तान के लोग उसकी तारीफ कर रहे है। पाकिस्तानी मीडिया नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी सभी बयानों का इस्तेमाल कर रहा है और भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिये इन बयानों का प्रयोग कर रहा है। ऐसे समय में नेहा सिंह राठौड़ के भारत विरोधी बयान देश और सभी कवियों के लिए अपमानजनक है।

एफआईआर के जवाब में राठौड़ ने कहा, यह एक्शन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया है।

नेहा ने कहा, ''पहलगाम हमले के जवाब में सरकार क्या कर रही है, मेरे खिलाफ एफआईआर? मेरे खिलाफ एफआईआर कर सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या यह समझना इतना मुश्किल है। अगर आप में हिम्मत है तो आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी असफलता के लिए मुझे दोष मत दीजीए। जैसे लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हर सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। सरकार को मेरे सवाल पूछने से दिक्कत है, इसलिए वे मुझे रोकना चाहते हैं।''

राठौड़ के बाद, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. मेडसा (माद्री काकोती) के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। डॉ. मेडूसा सरकार की आलोचक हैं और अपने कटाक्षों के लिए जानी जाती है। उन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने 36 साल पहले मिली सजा रद्द की

जयपुर, 29 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में 36 साल पहले मिली सज़ा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत से मिली ढाई साल की सजा की अवधि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से

- याचिकाकर्ता को 1989 में हत्या के प्रयास के अपराध पर निचली अदालत ने ढाई साल की सजा सुनाई थी। वैसे हाई कोर्ट ने 1989 में ही सजा स्थगित कर दी थी।

पेश अपील को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सलीम और राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)